न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 84/2018

GCMS No. 2018/00428

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
जयराम पुत्र धन्नाराम जाति सीरवी निवासी मण्डला तहसील सोजत जिला पाली		1. मांगीलाल पुत्र अमरचंद जाति नाई निवासी मण्डला तहसील सोजत जिला पाली 2. सरंपच ग्राम पंचायत मण्डला तहसील सोजत जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेद्र चौधरी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20-2-2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1304 दिनांक 25.05.1987 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी मांगीलाल को जारी नोटिस तामिल होने के बावजुद अनुपस्थित रहने से प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने वक्त बहस पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मण्डला के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी का कब्जाशुदा पुश्तैनी भुखण्ड आया हुआ है, जिसके पड़ौस उत्तर में आम रास्ता,दक्षिण में बाउरला बेरा का जाव, पुर्व में रतनाराम, पुनाराम व दलाराम का बाडा तथा पश्चिम में प्रार्थी स्वंय का प्लॉट आया हुआ है, जिस पर प्रार्थी का वर्षो से बहैसियत मालिकाना हक एवं आधिपत्य है जिसका प्रार्थी मवेशी बांधने एवं चारा वगैरा रखने के लिए उपयोग उपभोग कर रहा है, जिस पर अप्रार्थी का कभी भी कब्जा नही होने के बावजुद अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक को अनुचित लाभ पहुचाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर निगरानी आराजी भुखण्ड की चारदिवारी प्रार्थी द्वारा अपने खर्चे से करवायी थी। उक्त जैर निगरानी परिसर पर अप्रार्थी संख्या 01 का कभी कब्जा रहा ही नही जबकि प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने बिना किसी मिसल एंव प्रस्ताव के जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जैर आराजी का न तो मौका निरीक्षण किया न ही पंचायत राज नियम 146 के तहत तीन पंचों की नियुक्ति नही की गयी, न ही नियम 148 के तहत किसी प्रकार का आपत्ति इश्तेहार जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे से संबधित समस्त कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से पचांयती राज नियमों की अवहेलना करते हुए जारी किया है। जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्रार्थी को तब हुयी जब अप्रार्थी उक्त आराजी पर जैर निगरानी पट्टे की आड में कब्जे की नियत से आया जबकि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का पुर्वजो के समय से कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 01 ने एक इकरारनामा दिनांक 27.04.2017 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर सुपुर्द कर कहा की उक्त पट्टा गलत व बिना कब्जे के आधार पर बना है जिसे प्रार्थी खारिज करवा सकता है। अतः जैर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह पंचायत निगरानी ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र अमरचंद के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 1304 दिनांक 25.05.1987 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी आराजी के संबध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का रेकर्ड नही होना जाहिर किया। जैर निगरानी आराजी पर वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा है जिसका उपयोग उपभोग वह अपने पूर्वजो के समय से करता आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों के विरूद्ध जाकर अप्रार्थी सख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से बिना मौका निरीक्षण करवाये, बिना आवेदन एवं बिना किसी प्रकार की मिसल कायम किये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने नियमो से परे जाकर राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम में विहित प्रावधानों व प्रकिया की अनदेखी व अवहेलना करते हुए अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी द्वारा बाद आवंटन उक्त भूखण्ड पर किसी मकान या झोपड़े का निर्माण करवाया गया है, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है न ही उक्त भूखण्ड पर कभी कब्जा रहा या उन्होंने कभी उक्त भूखण्ड पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य ही करवाया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 1304 में वर्णित शर्तो की पालना उसके द्वारा नहीं की गई है, जबकि उनके द्वारा उन शर्तो की पालना करने के आज्ञापक प्रावधान है। यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी स्वयं ने एक इकरारनामा दिनांक 27.4.2017 को प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कर स्वीकार किया है कि पट्टा उसके नाम से गलत जारी हुआ है जिसे निरस्त किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। अतः निगरानीकर्ता के तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा अप्रार्थी मांगीलाल की स्वीकारोक्ति को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को यथावत रखा जाना विधि–सम्मत नही है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा अप्रार्थी मांगीलाल पुत्र अमरचंद जाति नाई के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1304 दिनांक 25.05.1987 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-2-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली